<u>उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ।</u>

परिपत्र सं0–सी– 16508 / तक0प्रकोष्ठ / 2016–17 दिनांक–28.02.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

विषयः– <u>सम्भावनाओं के आधार पर विभिन्न योजनाओं हेतु चयनित क्षेत्र।</u>

बैंक को अपने व्यवसाय में वृद्धि करने हेतु नई योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। ताकि इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार सृजन के अतिरिक्त बैंक की आय में वृद्धि भी हो। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर योजना बनाकर प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जाये ताकि योजना का परीक्षण कर योजनायें क्षेत्र में क्रियान्वित की जा सकें।

बैंक द्वारा कार्मिक मूल्यांकन मानक में भी नई योजना लागू करने हेतु अलग से मानक भी आवंटित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उचित होगा कि आप अपने शाखा क्षेत्र में सम्मलित नई योजनायें जिनमें वसूली सुनिश्चित हो तथा एन0पी0ए0 होने की सम्भावना कम हो, का चयन करके पूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय को तत्काल भेजें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको इस कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–23/ तक0प्रकोष्ठ / 13–14 दिनांक–22..08.2013(प्रति संलग्न) द्वारा भी 17 नई योजनाओं में ऋण वितरण के निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा संचालित समस्त योजनायें रोजगार परक व आय परक हैं तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संचालित की जा सकती हैं। किन्तु भौगोलिक स्थिति एवं कार्यक्षेत्र में निपुणता व जलवायु के आधार पर भी कुछ उद्योग व योजनायें स्थानीय स्तर पर बहुलता से संचालित की जाती हैं, इन योजनाओं में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल, कार्य कुशल श्रमिक, तकनीकी व बाजार स्थानीय क्षेत्र में ही आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अतः क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सम्भावनाओं के आधार पर योजनाओं की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही हे।

उक्त सूची के अनुसार मुख्यालय द्वारा प्रेषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें यदि योजना निर्माण में कठिनाई हो तो सूची में इंगित योजनाओं का प्रोफाइल बनाकर मुख्यालय प्रेषित करें ताकि उन योजनाओं का आंकलन कर शाखाओं को मार्ग दर्शन उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित करते हुए तकनीकी अनुभाग में सूचना प्रेषित करें।

ह0/-

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री मक्खन सिंह, प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को एस0एल0आर0सी0 की बैठक में सुझाये गये प्रस्ताव के कम में सूचनार्थ।

ह0/-

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तक0)